न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 71/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1 हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जन्मतिथी 19/08/1981
2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जन्मतिथी 20/07/1988
जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— वादीगण

बनाम

1. मखनसिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह } जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा
2. सर्वजीत कौर पत्नी मक्खनसिंह } मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. रजनी {पुत्री श्री मक्खन सिंह} पत्नी श्री गुरदर्शन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 6 वी, धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. सीमा {पुत्री श्री मक्खन सिंह} पत्नी श्री हरभजन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी मकान नम्बर ए–33, संगम विहार, गिरधरपुरा तहसील व जिला कोटा (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	वादीगण
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	प्रतिवादी संख्या 1ता4
पैरोकार राज	(प्रति.–5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.07.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम से 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है । चक 9 एफ बड़ा के खाता संख्या 105/43 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है [illegible] के दादाजी जसवन्त सिंह पुत्र चनन सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण [illegible] 616 [illegible]ंक 20/10/2014 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिताजी एवं इन[illegible] हुई तत्पश्चा[illegible] बहनो नसीब कौर, कश्मीर कौर, प्रकाश कौर, [illegible]सिंह द्वारा अपने हक व हि[illegible] का परित्याग वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 व इनके भाई मलव[illegible]ंह के हक में कर दिया गया [illegible] प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादीगण का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

अधिकारी है। चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.759 है. कृषि भूमि वादी संख्या 1 हरविन्द्र सिंह को एवं 0.759 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह को घरेलू बंटवारा में दी हुई है लेकिन उक्त पारस्परिक सहमति से पारिवारिक विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को घरेलू बंटवारा में दी गई उक्त वर्णित वादीगण के नाम दर्ज करवाने में पूर्णतः सहमत है अतः उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष दिनांक 08/03/2024 को पेश हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद दायर कर उक्त हिस्सा घोषित करवाने की हिदायत दी गई है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादीगण के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी सं. 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादीगण की बहने है जो उक्त पैतक सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा वादीगण को दी गई कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में सहमत है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 पर वादीगण की माताजी को तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पर वादीगण की बहनो को पक्षकार संयोजित किया गया है । वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 का कृषि भूमि के रिकार्ड में नाम "मखनसिंह" दर्ज है जबकि वादीगण की वल्दियत में नाम "मक्खनसिंह" अंकित है। "मक्खन सिंह एवं मखनसिंह" एक ही व्यक्ति है तथा वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 का ही नाम है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है ।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.518 है. कृषि भूमि वादीगण हरविन्द्र सिंह, कुलविन्द्र सिंह पिसरान मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की बःहिस्सा बरा[illegible] की जावे ।

(ख) उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के [illegible] ।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय [illegible] दिलवाया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू टवारानुसार चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.518 है. कृषि भूमि हरविन्द्र सिंह, कुलविन्द्र सिंह पिसरान मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को ब:हिस्सा बराबर बराबर घरेलू बंटवारा में दी हुई है तथा 0.506 है. कृषि भूमि सर्वजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर को बंटवारा में दी गई है।

अतः उक्त राजीनामानुसार चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.518 है. कृषि भूमि हरविन्द्र सिंह, कुलविन्द्र सिंह पिसरान मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे एवं चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.506 है. कृषि भूमि सर्वजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2072 –2075 ग्राम 9 एफ बडा, पटवार क्षेत्र मिर्जेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 105/43 की प्रति पेश की गई। । वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी, एवं प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.518 है. कृषि भूमि का वादी संख्या 1 हरविन्द्र सिंह एवम् वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पिसरान मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर [illegible] ब:हिस्सा बराबर बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का [illegible] व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल [illegible] कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.506 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 [illegible]त कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30.07.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/07/24

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर०

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

1 हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जन्मतिथी 19/08/1981
2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जन्मतिथी 20/07/1988
जांति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— वादीगण

बनाम

1. मखनसिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह } जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा
2. सर्वजीत कौर पत्नी मक्खनसिंह } मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. रजनी {पुत्री श्री मक्खन सिंह} पत्नी श्री गुरदर्शन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 6 वी, धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. सीमा {पुत्री श्री मक्खन सिंह} पत्नी श्री हरभजन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी मकान नम्बर ए–33, संगम विहार, गिरधरपुरा तहसील व जिला कोटा (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र संख्या 71/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी, श्री विजय कुमार भाटी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं पैरोकार राज प्रतिवादी–5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5.788 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम दर्ज 2337/5788 हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.518 है. कृषि भूमि का वादी संख्या 1 हरविन्द्र सिंह एवम् वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पिसरान मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को ब:हिस्सा बराबर बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं चक 9 एफ बड़ा पटवार हल्का [illegible] व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 105/43 के मुरब्बा नम्बर 2, 16, 18, 30 की कुल 5[illegible] हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (मखन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह) के नाम [illegible] हिस्सा यानि 2.337 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.506 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 सर्वजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जि[illegible] श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक .. शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

यह डिक्री आज दिनांक ...09/08/24... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

09/08/24

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested